IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं की भागीदारी

[1]ज्योति सक्सेनाए [2]डॉ॰ गिरवर सिंह राठौड़

[1]पी.एच.डी. शोधार्थी [2] सह.शोधमार्गदर्शक

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े वाला विश्वविद्यालय,

सारांश

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।भारतीय लोकतान्त्रिक व्यस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है सभ्य समाज की स्थापना से ही मनुष्यों ने जब समूहों में रहना सीखाए पंचायत राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आये है। महिलाओं के अधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है। महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलोंए सामाजिक आन्दलोनो या प्रद्रशनो जैसे ओपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेना पर्याप्त नहीं हैए बल्कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी एवं अन्य स्तरों पर व्यवस्था में भागीदारी द्वारा ही उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है इसमें शामिल हैं।

कद्ध ग्राम स्तरीय पंचायत

खद्ध प्रखंड ;ब्लॉक स्तरीय पंचायत

गद्ध जिला स्तरीय पंचायत

उद्देश्यरू.

- भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, संगठन व कार्यों का अवधारणात्मक व व्यावहारात्मक विश्लेशण तथा अध्ययन करना।
- पंचायती राज के माध्यम् से महिला नेतृत्व की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पंचायती राज के माध्यम् स महिला नेतृत्व की राजनीतिक व प्राासनिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व के विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक कारकों का अध्ययन करना।

प्रस्तावना :
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतीराज का प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला बताया। इसी तरह महात्मा गाँधी ने भी कहा था कि "जब तक गावों का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास संभव नहीं है। गांवों में राम राज आए इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना जरूरी है।" गांवों में पंचायतीराज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। लोकतंत्र का आधार ×ञ्सन मे जन सहभागिता के साथ ही ×ञ्सन का निम्नतम स्तर तक विकेन्द्रीकरण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के धरातल पर लोकतंत्र ऐसी राजनीतिक संरचना ह जिसमें लोकतंत्र केवल राष्ट्रीय या राज्य स्तरों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसका विस्तार स्थानीय स्तरों तक ह। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं तो सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू जी के शब्दों में "यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं को जागृत करो। एक बार वो आगे बढ़ती हैं तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आर शहर आगे बढ़ते हं, सारा दश आगे बढ़ता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक पृष्ठभ ूमि :

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। अतः पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व का विश्लेशण करने हेतु अतीत से लेकर वर्तमान तक की पंचायती राज व्यवस्था की विकास यात्रा व इसमें महिलाओं की भूमिका और वैदिक कालीन पंचायतों में महिलाआ की स्थिति का विश्लेशण अनिवार्य है। पंचायती राज व्यवस्था के विकास एवं स्वरूप का वर्णन अग्रलिखित है–

प्राचीन काल के स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का नेतृत्व :

वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करने पर पंचायती राज का अस्तित्व साफ दिखाई देता है। इस समय तक ग्राम सभाओं तथा गाम–पंचायतों का गठन हो चुका था। वैदिक काल में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे लघु इकाइ थे जिनका मुखिया 'ग्रामीणी' कहलाता था। ग्रामीणी गाँव के श्रेष्ठ तथा बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से कार्य करता था। वैदिक काल में सभा होती थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, जहाँ राजा भी भयभीत रहता था कि कहीं उसे राजा के पद से न हटा दिया जाए। वैदिक काल में जनता की ग्राम सभाएँ प्रत्येक गाँव में होती थी। ये "सभा" मुख्यतः गाव की सामाजिक गोष्ठी होती थी, जो आवश्यकता पड़ने पर वह गाँव की समस्याओं से सम्बन्धित विषयों पर भी विचार करती थी। गाँव के पारस्परिक झगड़ को तय करना व गाँव की रक्षा करना उसका कार्य था। महाकाव्य काल (रामायण व महाभारत) मं भी सभा का उल्लेख मिलता है, जो ग्रामीण सुरक्षा का प्रबन्ध करती थी। परन्तु इस सभा का स्वरूप वर्तमान पचायतों के अनुरूप नहीं था। महाकाव्य काल में शासन की न्यूनतम इकाई 'ग्राम' ही मानी जाती थी जिसका मुखिया 'ग्रामीक' ग्रामीण शासन के लिए उत्तरदायी होता था। वह कर एकत्रित करने, ग्राम में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। मौर्य काल में प्रचलित ग्रामीण स्वशासन में, प्रत्येक ग्राम का शासन पृथक–पृथक होता था। गाम के शासक को 'ग्रामीक' कहते थे। दस ग्रामों के मध्य 'संग्रहण' तथा 200 गावों के मध्य 'स्थानीय' नाम की संस्थाआं की स्थापना की जाती थी। गुप्त काल में मौर्यकाल की भाँति ही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था प्रचलित थी। जिसकी सबसे लघु इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया 'ग्रामीक' होता था। गुप्तकालीन ग्राम सभा को 'ग्राम जनपद' या

'पंचमण्डली' कहा जाता था, जो महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती थी। दक्षिण भारत में सात–वाहन–शासकों के काल में नगरों तथा ग्रामों में स्थानीय षासन संस्थाएं विधमान थी। दक्षिणी भारत के ही चोल प्रशासन में भी ग्राम स्वायतत्ता (ग्राम परिषदें) पायी जाती थी। अतीत में भारत में पंचायतें थीं, इसके अनेक पमाण मिलते हैं। लेकिन इनमे ं महिलाओं की भागीदारी भी थी– इसके प्रमाण नहीं मिलते ह ं। तत्कालीन पंचायतों के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई थी, महिलाएँ उनकी परिधि में नहीं आती थी। वही व्यक्ति पंचायत में चुना जा सकता था जिसक पास कर देने योग्य भूमि हो, उसके पास अपना मकान हो, वह संस्कृत जानता हा तथा उसका ज्ञान बताने व सुनाने योग्य परिपक्व हो। वह व्यवसाय करना जानता हो आर अपना धन ईमानदारी से कमाया हो। इन योग्यताओं के आधार पर महिलाएँ चुनाव के योग्य हो ही नहीं सकती थी। उत्तर वैदिक काल के बाद न उनके स्वामित्व में भूमि थो, न उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और न ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार था।

मध्यकालीन स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का नेतृत्व :

राजपूत काल में ग्राम पंचायतों का महत्व कम हो गया क्योंकि इन संस्थाओं पर सामंतो का एकाधिकार हो गया। सामंती राजव्यवस्था ने पचांयती राज संस्थाओं को समाप्त कर दिया तथा केन्द्रीय व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया जिसमे महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख कालों– 'सल्तनत काल' (1200–1526) व 'मुगल काल' (1527–1707) में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विशेष महत्व था। दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की सबसे लघु इकाई 'ग्राम' को प्रबन्ध के मामले में पर्याप्त स्वायतता प्राप्त थी। ग्राम का प्रबन्ध नम्बरदारों, पटवारियों तथा चौकीदारों द्वारा किया जाता था। मुगलकालीन भारत में भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई अपने प्राचीन रूप में ही संचालित रही। इस काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' ही थी, जिसके शासन का प्रबन्ध ग्राम स्तर पर तीन महत्वपर्ण अधिकारियों–मुक्कद्दम, पटवारी व चौधरी द्वारा किया जाता था। शासन में पंचायत के महत्व को तो स्वीकारा जाता था लेकिन मुगलों के शासन काल में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल की अपेक्षा और अधिक पिछड़ी तथा उनकी भूमिका और अधिक सिकुड़ गई थी। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की बजाय उन्हें घूंघट (पर्दा प्रथा) में बन्द करके घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया था।

ब्रिटिशकालीन स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का नेतृत्व :

18वीं शताब्दी में मुगल काल के पतन क पश्चात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की लोकप्रियता धीरे–धीरे समाप्त होने लगी। इसके मुख्य कारण कम्पनी की प्रशासनिक नीतियाँ तथा शासकों द्वारा पंचायता का विरोध करना थे। परन्तु इसके बावजूद भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का इन संस्थाओं के बारे मे नजरिया व्यावहारिक था। ब्रिटिश काल में पंचायतो ं ने अपनी सत्ता खो दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सारी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ब्रिटिश शासकों ने ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तन्त्र को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय जनता का अधिकाधिक शोशण किया जा सके। इस समय तक ग्रामीण आत्मनिर्भरता की व्यवस्था नष्ट होने लगी। परन्तु सरकार में भागीदार नहीं होने के बावजूद इन सस्थाओं का सामाजिक परिवेश में, ग्रामा में महत्व कायम रहा। अंग्रेजी शासन में व्यापक पैमाने पर हुई व्यवहार एवं दण्ड न्यायालयों की स्थापना के कारण ग्राम पंचायतें शून्य होने लगी।सी.आई.एच. हॉब्स हाऊस की अध्यक्षता में 1907 में बने शाही विकेन्द्रीकरण आयोग द्वारा सीधे तरीके से, नए रूप में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निम्न स्तर के चुनाव करवाने तथा गांव को स्थानीय स्वशासन की इकाई मानने की सिफारिश की गई। 1919 का "भारत सरकार अधिनियम" लागू होने पर स्थानीय स्वशासन के नवीन युग का आरम्भ हुआ तथा स्थानीय शासन हस्तातंरित विषय बना। और सभी प्रांतो को अपनी आवश्यकतानुसार स्वायत स्थानीय संस्थाएँ विकसित करने की आज्ञा मिली। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने 'संयुक्त प्रान्त विलेज पंचायत अधिनियम 1920' पारित किया। इस अधिनियम के अन्तगर्त पचांयतां की स्थापना का अधिकार जिलाधिकारी को प्रदान किया गया। गांधी जी ने भी 1920 में असहयोग आन्दोलन के माध्यम से स्थानीय शासन को और ज्यादा सक्रिय बनाने का प्रयास किया।

पचांयतों व उनमें महिलाओं के नेतृत्व क बारे वर्णन करते समय संविधान सभा का उल्लेख करना अत्यन्त जरूरी है। पहले तो पंचायतों को संविधान में जगह ही नहीं दी जा रही थी परन्तु गाँधी जी के प्रभाव व अन्य लोगों के प्रयासों व दबावो ं के कारण अन्ततः पंचायतों को तो संविधान का हिस्सा बनाया गया। परन्त इन पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता के बारे में काई विचार विमर्श नहीं हुआ। संविधान सभा में पंचायतां की बात तो दूर, विधानमण्डल व संसद में भी महिलाओं की भागोदारी सुनिश्चित करने की बात को लिंग भेदभाव तथा समानता

के विपरीत बताकर रद्द कर दिया गया। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ अग्रणी नेताओं ने न केवल महिलाओं की दशा सुधारने का संकल्प लिया बल्कि उनकी शक्ति को पहचानते हुए, उन्हे स्वतन्त्रता संग्राम में षामिल करने का भी आह्वान किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, ऐनीबेसेंट, रामकृष्ण परमहंस ईत्यादि ने सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध तीव्र जन–आन्दा ेलन चलाकर महिलाओं की स्थिति सुधारने का सराहनीय प्रयास किया।

स्वतन्त्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का नेतृत्व :

स्वाधीन भारत में महिला विकास को एक नई गति मिली। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान को स्वोकारते हुए तथा उदारवादी और समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। नेहरू ने देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की समूची अवधारणा के मूल आधार के बारे में बात करते हुए स्त्रियों को आगे बढ़ाने की वकालत की। इसलिए भारतीय संविधान में जहाँ एक और महिलाओं को पुरूषों के समान वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया वहीं दूसरी और मौलिक अधिकारों में उन्हे ं पुरुषों के समान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त राज्य क नीति–निर्देशक तत्वों में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने का वचन दिया गया। संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनु० 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी पकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनु० 15(3) में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं आर बच्चों के लिए विशश प्रावधान करने की अनमुति दी गई है। अनु० 16(1) "राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता" की गारन्टी करता है। तथा अनु० 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन के सम्बन्ध में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग चार में राज्य के निर्देशक तत्व भी परोक्ष रूप से महिलाओं से सम्बन्धित हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति सुधारने का वचन दिया गया है। जैसे अनु० 39(क) प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनु० 39(ख) में पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार मूल कर्त्तव्यों में भी महिलाओं के लिए अनु० 51(ड) प्रत्येक नागरिक पर ऐसी प्रथाएं त्यागने का कर्त्तव्य डालता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों। संविधान की इसी भावना के अन्तर्गत कालान्तर में पंचायती राज अधिनियम पारित कर पचांयती राज व्यवस्था का षुभारम्भ, भारत के सभी राज्यों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में किया गया ह। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेशता यह भी है कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरा पर महिलाओं के लिए स्थानां का आरक्षण किया गया है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों (अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सहित) की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है।) महिलाओं के लिए आरक्षित होगें। ऐसे स्थानों का आवंटन किसी पचांयत में चक्रानुक्रम में किया जाएगा।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व की वर्तमान स्थिति :

भरतीय महिलाओं की अधिकारिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाने, उनके जीवन स्तर का आदर्श स्वरूप देने, उनकी जागरूकता व साक्षरता आदि में वृद्धि करने के उद्देश्य से षासन की सबसे छोटी ईकाई पंचायती राज में उन्हे सहभागिता दी गई, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243घ (1) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (एस.सी. व एस.टी. की महिलाओं सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाएं आरक्षित सीटों पर तो चुन कर आ ही रही हैं। तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं जो सामान्य सीट पर भी चुनाव जीत कर यह साबित कर दे रही हैं कि वे किसी से पीछे नहीं हैं। एक स्वयंसेवी संगठन की ओर से कुछ समय पहले जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिन महिलाओं ने पहली बार आरक्षण के तहत सरपंच, वार्डपचं का चुनाव लडा, चुनाव जीतने के बाद उन्होनं विकास कार्यों के जरिए ग्रामीणों का इस कदर दिल जीता कि देशभर में करीब पांच हजार से अधिक महिलाओं को दोबारा सामान्य सीट होने के बाद भी चुना गया। आज वे सफल जनप्रतिनिधि के रूप में ग्रामवासियों की हर समस्या का समाधान कर रही हैं।

निष्कर्ष :इन अध्ययना से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज ने मौन क्रांति के रूप में ग्रामीण महिला नेतृत्व को विभिन्न तरीकों से बढ़ावा दिया है। इससे पुरुषों की मानसिकता भी बदली है जिससे वे महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न माध्यमों स प्रोत्साहन दे रहे हैं। आशा है समय के साथ महिलाएं राजनीतिक कौशल प्राप्ति के साथ नियम एवं प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जानकर स्वयं के निर्णयों व सोच के अनुसार कार्य कर सकेंगी। पंचायती राज में महिला नेतृत्व के उभरने से सद्भाव एवं सहयोग पर आधारित बेहतर ग्रामीण समुदायों का निर्माण होगा तथा लिंग संतुलन एवं सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आशा की जा सकती है कि भविष्य मं पंचायती राज में महिला नेतृत्व और अधिक उभर कर सामने आयेगा तथा पहले स ज्यादा दक्ष, सक्षम, एवं विश्वसनीय होगा। सारांशतः विभिन्न प्रकार के अनुसंधान ग्रन्थां का अध्ययन कर वर्तमान समस्या के समाधान तथा पिछले ज्ञान को वर्तमान समस्या से सम्बन्धित करने का प्रयास किया है। साहित्य के सर्वेक्षण तथा पूर्व साहित्य की जानकारी से मुझे समस्या के चुनाव से लेकर प्रतिवेदन लिखने तक सहायता मिली ह। इस प्रकार शोध सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन मेरे लिए अत्यन्त लाभदायक, सहायक, आवश्यक, महत्वपूर्ण एव ं मार्गदर्शक रहा है।

संदर्भ :

1ण सिंह जनक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की अर्द्धवार्शिक षोध पत्रिका, जुलाई–दिसम्बर

2011

2ण राणा राजकुमारी, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव–पंचायती राज, राज पब्लिशिंग

हाऊस, जयपुर, 2000

3ण कौटिल्य का अथर्शास्त्र, प्रथम अध्याय, चौखम्भा विधाभवन, वाराणसी, 1992 ।

4ण महिपाल, पंचायतों में महिलाएँः सीमाएं और सम्भावनाएं, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।

5ण सिंह, आर. पी., महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायती राज व ग्राम विकास, आदित्य पब्लिशर्स बीना,

2000 ।